



कार्यालय, उपायुक्त वायु सीमा-शुल्क, सी सी एस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, अमौसी, लखनऊ-226009  
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF AIR CUSTOMS, C.C.S.I. AIRPORT, AMAUSI, LUCKNOW-226009.  
Tel. No.: 0522-2431876; Fax:0522-2438556; E-mail/ ई-मेल: [airportlko@commissionercustomslucknow.gov.in](mailto:airportlko@commissionercustomslucknow.gov.in).

क्रम सं. Serial No. ....  
जारी करने का स्थान Place of issue.....  
जारी करने का दिनांक Date of issue.....

**निर्यात प्रमाण पत्र EXPORT CERTIFICATE**

(अगर निजी व्यक्तिगत संपत्ति को भारत में पुनः आयात करने का आशय है तो ऐसी स्थिति में उपयोग करें)  
(To be used in the case of private personal property intended to be re-imported into India subsequently)

**भाग-क PART-A**

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि निम्नलिखित माल, मेरी निजी व्यक्तिगत संपत्ति है और यह व्यापारिक माल नहीं होकर मेरे व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि निर्यात पर शुल्क ड्राबैक का दावा नहीं किया जा रहा है।

I hereby declare that the article/articles particulars of which are given below is/are my personal private property and is/are for my personal use not merchandise for sale. I further declare that drawback of duty is not being claimed of exportation.

निर्यातकर्ता/ यात्री का हस्ताक्षर **Signature of the Exporter/Passenger**

टिप्पणी: पुनः आयात करने के समय, आयात शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए, माल, निर्यातकर्ता या उनके परिवार के स्वामित्व में होना चाहिए। निर्यात दिनांक से लेकर एक वर्ष के अंदर उपर्युक्त माल को भारत में निर्यात वापस लाना चाहिए। उसे पुनः आयात करनेवाले व्यक्ति को देश से अपने हर प्रस्थान से पहले, सीमा शुल्क विभाग को उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा इस पर पृष्ठांकित करना चाहिए।

*N.B.- To obtain exemption from import duty on re-importation, the article must remain in the ownership of the exporter, or his family. It must be brought back to India within one year of the date of export. The person re-importing it must produce this certificate and get the same endorsed from the Customs, before every departure out of the country.*

निर्यातकर्ता का नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) **Exporter's name and address (In block letters):**

.....  
.....

पारपत्र विवरण: पारपत्र संख्या **Details of Passport: Passport No.:**.....

जारी करने का दिनांक/ स्थान **Date/Place of issue :**.....

| माल का विवरण<br><b>Description of articles</b><br>(उत्पादन तथा उत्पादक का नाम) (Name of the product and Manufacturer name) | माल के पहचान विवरण<br><b>Identification of particulars</b><br>(मेक सं, मॉडल सं और उत्पादन वर्ष)<br>Makes/Number, Model No. & year of manufacture) | मूल्य <b>Value</b> (As per purchase Invoice/Valuation Certificate of approved Govt. valuer) | टिप्पणी<br><b>Remarks</b> |
|--|---|---|---------------------------|
|  |   |   |                           |

दिनांक Date:

सीमा शुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर  
Signature of the Customs Officer

शिफ्ट प्रभारी स/उप आयुक्त/ अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित  
Countersigned by I/c Shift AC/DC/AC.S

**भाग ख PART-B**

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त माल के विवरण कि जांच की गयी है और सही पाया गया है। मेरे पर्यवेक्षणधीन फ्लाइट सं (निम्नप्रकर) में माल का लदान किया गया है।

Certified that the particulars of the articles noted above have been verified and found correct. Articles shipped under my supervision by Flight No. (as detailed below)

टिप्पणी: अगर निर्यात प्रमाण पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में, प्रस्थान एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र कि प्रति को अपने रिकॉर्ड के लिए रखा जाये।

**N.B.-- In case the Export Certificate has been issued in advance, a copy of the certificate may be retained by the Customs officer at the departing airport for their record.**

| क्रम सं | यात्रा का दिनांक Date of journey | फ्लाइट विवरण Flight details | सीमा शुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर (सीमा शुल्क स्टैम्प) Signature of Customs Officer (Customs Stamp) |
|---------|----------------------------------|-----------------------------|---|
|         |                                  |                             |   |

दिनांक Date:

सीमा शुल्क अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of the Customs Officer